झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०–08 / ज०सं०(नि०) बाह्य–09–08 / 2015............................ / राँची, दिनांक –

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, (ID-1957) ने जबकि वे मुख्य अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, स्वा०शि०एवं प०क०वि० के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43बी० के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री ददन चौबे, (से०नि०, झा०प्र०से०) के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए प्रबंधक–सह–कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड राज्य, भवन निर्माण, नि०लि० दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि वे संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ :– श्री ददन चौबे, (से०नि०, झा०प्र०से०), विभागीय जाँच पदाधिकारी, टी०ए० डिविजन बिल्डिग, धुर्वा, राँची / प्रबंधक–सह– कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड, राज्य भवन निर्माण निगम लि० छोटानागपुर / श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, से०नि० अधीक्षण अभियंता, मकान सं०–एम– 01, डबल स्टोरी, हरमू हाऊसिंग कॉलोनी, राँची, बिरसा मुण्डा, हरमू, अरगोड़ा, बाईपास रोड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

P.T.O

ज्ञापांक –.. /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति के साथ श्री ददन चौबे, (से०नि०, झा०प्र०से०), विभागीय जाँच पदाधिकारी, टी०ए० डिविजन बिल्डिग, धुर्वा, राँची/प्रबंधक–सह– कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड, राज्य भवन निर्माण निगम लि० दक्षिणी छोटानागपुर/श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, से०नि० अधीक्षण अभियंता, मकान सं०–एम 01, डबल स्टोरी, हरमू हाऊसिंग कॉलोनी, राँची, बिरसा मुण्डा, हरमू, अरगोड़ा, बाईपास रोड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेंगे साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4. आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –.. /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि : सचिव, स्वा०चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –80.. /राँची, दिनांक– 05/01/19

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/01/19

सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग।